हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रामजीवन सिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार तिंवरी)
सू.अ.अ. अपील संख्या 150/2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामजीवन सिंह पता अगुणा बास मथानिया जिला जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.10.2018 में उसके द्वारा (1)मथानिया बाईपास का नक्शा (760, 764) खसरों का एवं इन खसरों में कितनी भूमि वर्ष 2014 में अधिग्रहण की गई व अन्य 3 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिंवरी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिंवरी) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार तिंवरी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 369 दिनांक 10.12.2018 प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि कार्यालय के पत्रांक 247 दिनांक 12.10.18 को डाक द्वारा जबाब प्रार्थी द्वारा दिये गये पते पर भेजा गया, जो प्रार्थी द्वारा रिसिव नहीं किए जाने पर इस कार्यालय को दिनांक 22.11.2018 को पुनः प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया गया परन्तु प्रार्थी का मोबाईल नम्बर गलत होना बताया गया। प्रार्थना–पत्र में वर्णित सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है, परन्तु क्या विधिक प्रावधानों की अनुपालना में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया या नहीं ?, रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया। द्वितीयत् प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 (ख.नं. 760, 764, 760/1 में कितनी भूमि वर्ष 2001 में समर्पण करवाई गई) व बिन्दु 3 (अपील अधिकारी का नाम बताने) से संबंधित सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग की न होकर स्वयं लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबंधित ही है। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है, परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिंवरी) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण विधिक प्रकिया के तहत नियत अवधि में करे तथा जो सूचना सार्वजनिक निर्माण

लगातार...

विभाग या अन्य कार्यालय से संबंधित है उसके लिए क्या प्रार्थना–पत्र नियत अवधि में स्थानान्तरित कर दिया गया ?, यदि नहीं किया गया है तो संबंधित विभाग से सूचना मंगवाकर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।